जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो सरकार!!!

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/vps/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 4 सितम्बर 2020

लाईसेंस जब्ती और निलंबन में नहीं हो रही नियमों की पालना

भाग-1

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी ने ट्रेफिक नियम उल्लंघन कर्ता के लाईसेंस को जब्त कर,कम से कम तीन महीने के लिए निरस्त करने के दिए है आदेश

देशभर में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कमिटी का गठन किया गया है,जो सड़क हादसे रोकने के उपायों की कढाई से पालना करवाने और इस सन्दर्भ में सभी राज्यों से त्रेमासिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अधिकृत है|इस कमिटी द्वारा दिनांक 18/08/2015 को सभी राज्यों को निर्देश जारी किये जिसके अनुसार

1. हाईस्पीड,लाल बत्ती क्रॉस करने वाले,ओवरलोडेड ,मालवाहक वाहनों में सवारियों को भरने वाले,नशे में वाहन चलाने वाले,ड्राईविंग करने समय मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालकों का ड्राईविंग लाईसेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19 एवं सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंतर्गत कम से कम 3 महीने के लिए निरस्त करने के आदेश दिए गए है|
2. नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत कार्यवाही हेतु मुकदमा दर्ज करेगी,जिसके तहत वाहन चालक को जेल भी हो सकती है|
3. दो पहिया वाहनों पर वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है,यदि हेलमेट सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जाता तो चालान के साथ साथ 2 घंटे की ट्रेफिक संबधी क्लास लेने का प्रावधान किया गया है|
4. सीटबेल्ट नहीं पहनने वाले चालको और अन्य सवारियों के लिए भी चालान के साथ साथ ट्रेफिक संबधी क्लास लेने का प्रावधान किया गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

Chairman: *Justice Shri K.S. Radhakrishnan*
Members: *S. Sundar*
Dr. Nishi Mittal

Secretary: *SD Banga*

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी का निर्णय

BY SPEED POST

MOST IMMEDIATE

F.No.05/2014/CoRS- Part-III

Dated: 18th August, 2015

To

Chief Secretary of all States/UTs

Subject: **Directions to the States/UTs to implement road safety laws – reg.**

Sir/Madam,

The Committee constituted by the Supreme Court of India to monitor and measure implementation of road safety laws in the country has had detailed discussions with the concerned Central Ministries and all the States/UTs on the trend of road accidents and fatalities. The data furnished by them have clearly established that the number of fatalities in India continues to be very high, causing serious emotional trauma and economic loss to the families of the deceased and the society. The compensation awarded to the victims by the Insurance Companies also runs into hundreds of crores of rupees every year.

2. The Committee has over the last one year issued directions to the States/UTs to establish institutional arrangements to promote road safety, undertake engineering measures to make roads safe, tighten enforcement together with promoting road safety education and establishing adequate trauma care facilities, and the Committee has been closely monitoring the action being taken by the States/UTs. Even though a number of measures have been taken by the States/UTs as directed by the Committee, the Committee on the basis of detailed analysis of traffic accidents and fatalities has come to the conclusion that unless strong and urgent measures are taken to deal with over speeding, drunken driving, red light jumping, violation of helmet laws and seat belt laws, use of mobile phones while driving, and over loading, the number of accidents and fatalities will continue to remain high.

ROOM NO. 249, VIGYAN BHAVAN ANNEXE, MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI-110011
TEL NO.011-23060597 EMAIL ; roadsafetysc@gmail.com

3. The Committee is of the considered view that the States/UTs and their concerned Departments should take stern action against the violators of the law and exercise the discretion under Section 19 of the Motor Vehicle Act, 1988 read with Rule 21 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 by passing an order disqualifying the offender from holding a driving license for a specified period and also by seeking imprisonment wherever it is provided under the law. The Supreme Court, while constituting the Committee, has also emphasised the necessity of strict and faithful enforcement of all existing laws and norms not only as an absolute principle of law as well as for the high beneficial effects thereof.

4. The Committee, therefore, directs the States/UTs and their concerned Departments to take the following action forthwith:

Suspension of the licence for a period of not less than 3 months under Section 19 of the Motor Vehicle Act, 1988 read with Rule 21 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for:

(i) Driving at a speed exceeding the specified limit which in the Committee's view would also include red light jumping;

(ii) Carrying overload in goods carriages and carrying persons in goods carriages;

(iii) Driving vehicles under the influence of drink and drugs;

(iv) Using mobile phone while driving a vehicle.

5. The Committee further directs that in case of driving a vehicle under the influence of drinks or drugs, the police should prosecute the offender and seek imprisonment as prescribed under Section 185 of the Motor Vehicle Act, 1988 even for the first offence.

6. The Committee also directs that the helmet laws be made applicable all over the State/UT both for main riders and the pillion riders. In case where the law relating to the use of helmet is violated by either the main rider or the pillion rider, they should both be subject to Road Safety Education and Counselling for not less than 2 hours before imposition of fine as prescribed under the Act.

7. Those who violate the seat belt law should also be subject to Road Safety Education and Counselling before imposition of fine as mentioned above.

ROOM NO. 249, VIGYAN BHAVAN ANNEXE, MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI-110011
TEL NO.011-23060597 EMAIL : roadsafetysc@gmail.com

8. The Committee further directs the States/UTs to submit Action Taken Reports at the end of every 3 months starting from 1st Sept, 2015.

Yours faithfully,

(SD Banga)
Secretary to the Committee

(S. D. BANGA)
Secretary
Committee on Road Safety
Supreme Court of India

Copy to:

Transport Commissioner/Secretary, Transport Department

of All States/UTS

(SD Banga)
Secretary to the Committee

(S. D. BANGA)
Secretary
Committee on Road Safety
Supreme Court of India

ROOM NO. 249, VIGYAN BHAVAN ANNEXE, MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI-110011
TEL NO.011-23060597 EMAIL ; roadsafetysc@gmail.com

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19 के तहत ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने वाला प्राधिकृत अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ता को उसके द्वारा उल्लंघन किये जाने वाले कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ततपश्च्यात उसका लाईसेंस निरस्त करने का आदेश जारी करता है| इस धारा के तहत यदि उल्लंघनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो उसे निरस्तीकरण आदेश जारी होने के एक माह के भीतर प्राधिकृत अधिकारी से उच्चतर अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार प्राप्त है|

यातायात और परिवहन विभाग नहीं कर रहे नियमों की पालना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमिटी का आदेश यातायात और परिवहन विभाग दोनों के लिए गले की फांस बन गया है और दोनों विभाग इस आदेश की पालना में कागजी खानापूर्ति में इतने मशगुल हो गए है कि उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19 की पूर्ण पालना का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है|

चालान/जब्ती रसीद में नहीं है जुर्म का उल्लेख

पुलिस द्वारा जब किसी उल्लंघनकर्ता को लाईसेंस जब्ती रसीद जारी की जाती है तो उसमे उसके द्वारा किये गए उल्लंघन का का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है,नियमानुसार ऐसा करना जरुरी है|इस जानकारी के अभाव में सुनवाई और अपील प्रक्रिया में उल्लंघनकर्ता के बच निकलने के रास्ते खुल जाते जाते है|

यातायात पुलिस और परिवहन की लेट लतीफी के कारण बेचारा कन्हैया लाल 10 महीने रहेगा बेरोजगार

कन्हैया लाल पेशे से ड्राईवर है ,जो कि अपनी आजीविका के लिए पानी का टेंकर चलाने का काम करता है|दिनांक 18/02/2020 को लाल बत्ती क्रॉस करने पर उसका 100 रूपये का चालान किया गया और साथ ही उसका लाईसेंस भी जब्त कर लिया|जब्त करने वाले अधिकारी ने उसको बताया कि उसका लाईसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है,3 महीने बाद टोंक जिला परिवहन अधिकारी से NOC लाने पर उसका लाईसेंस लौटा दिया जाएगा|तीन महीने बाद जब कन्हैया लाल टोंक जिला परिवहन अधिकारी के पास पंहुचा तो उसे बताया गया कि उसकी फाईल तो अभी आई ही नहीं यह सुनते ही मानो बेचारे कन्हैया लाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो,वह बेचारा रोज अपनी फाईल के लिए टोंक जिला परिवहन अधिकारी के चक्कर लगाने लगा तब जाकर 29/07/2020 को उसको लाईसेंस निलंबन का आदेश मिला जिसमे उसे आदेश प्राप्ति से 90 दिन के लिए कोई भी गाडी चलाने के अयोग्य घोषित किया हुआ था यानि की उसका निलंबन 29/10/2020 तक रहेगा|इस प्रकार बेचारे कन्हैया लाल को 10 महीने बेरोजगार रहना पड़ेगा|

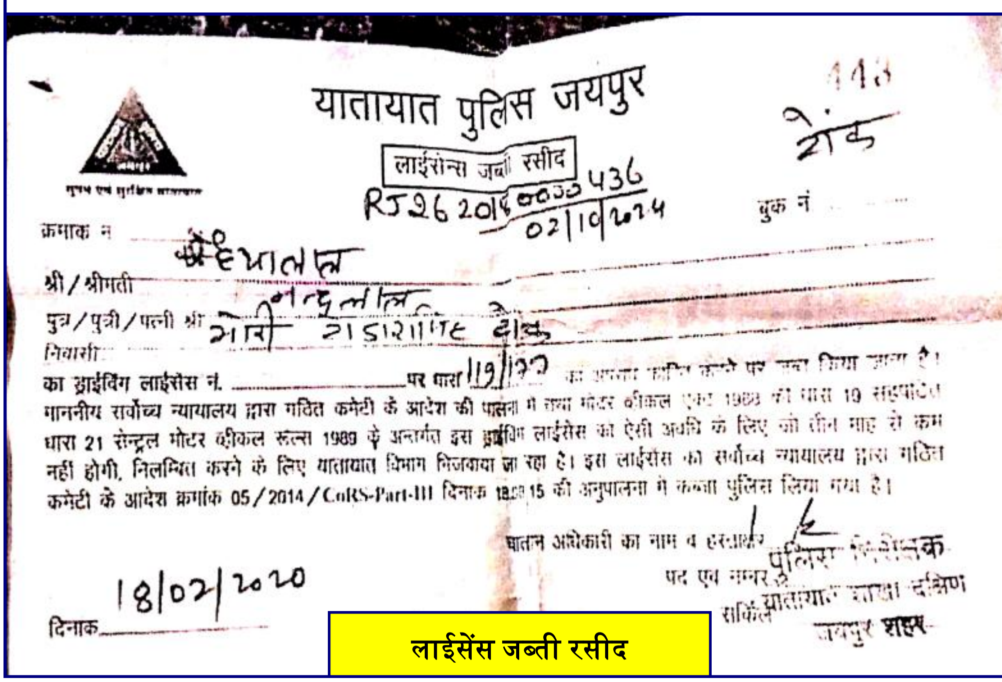

यातायात पुलिस जयपुर

लाईसेन्स जब्ती रसीद

क्रमांक न

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी

का ड्राईविंग लाईसेंस न. ____ पर धारा 119/177 का उल्लंघन कारित करने पर जब्त किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के आदेश की पालना में तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19 सहपठित धारा 21 सेन्ट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अन्तर्गत इस ड्राईविंग लाईसेंस को ऐसी अवधि के लिए जो तीन माह से कम नहीं होगी, निलम्बित करने के लिए यातायात विभाग भिजवाया जा रहा है। इस लाईसेंस को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के आदेश क्रमांक 05/2014/CoRS-Part-III दिनांक 18.03.15 की अनुपालना में कब्जा पुलिस लिया गया है।

चालान अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

पद एवं नम्बर

दिनांक 18/02/2020

लाईसेंस जब्ती रसीद

परिवहन विभाग में ना सुनवाई ना अपील!सीधे फैसला

अब बात करते है परिवहन विभाग की,परिवहन विभाग भी यातायात पुलिस से लाईसेंस जब्ती की कार्यवाही के बाद ना तो सुनवाई करता और ना ही निरस्तीकरण आदेश में अपील के प्रावधान का जिक्र|परिवहन विभाग की इस भूलभुलैया से उल्लंघनकर्ता न्याय पाने के अधिकार से वंचित रह जाता है|

कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, टोंक

ग्राम बोरखण्डी खुर्द, तह0 पीपलू एन.एच.–12, टोंक, फोन/फैक्स– 01432.–247588

क्रमांक /परि./2020–21/10154

दिनांक :–29.07.2020

आदेश

निम्नलिखित चालन अनुज्ञप्तिधारकों की चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाइसेंस) को निरस्त/निलम्बन करने की अनुशंसा प्राप्त हुई। अत प्राप्त अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निम्न लिखित अनुज्ञप्तिधारकों के ड्राईविंग लाईसेंस मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(1)(f) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 90 दिवस तक की अवधि के लिये निलम्बित किये जाते है, तथा निम्नलिखित अनुज्ञप्तिधारकों को आदेश जारी किये जाने की तारीख 29.07.2020 से 90 दिवस की अवधि तक किसी भी प्रकार के ड्राईविंग लाईसेंस के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारक इस अवधि में किसी भी प्रकार के वाहन संचालन नही करेंगें।

क्र. सं.	अनु0संख्या	अपराध	अनुशंषा प्राप्त कार्यालय का नाम	धारक का नाम
1	RJ26 2018000[illegible]36	119/177 MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री नन्द लाल निवासी भाओंरी तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक (राज0)
2	RJ26 2017001653	119/177 MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री दिनेश पुत्र श्री भोलूराम निवासी भगवानपुरा जिला टोंक (राज0)
3	RJ26 2019000122[illegible]	119/177 MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री अजित पुत्र श्री गुमान निवासी बनवारी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4	RJ26 20160006266	112/183 (1) MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री सद्दाम पुत्र श्री सलीम निवासी गांव संथारिया तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक (राज0)
5	RJ26 20170002765	119/177 MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री हेमराज पुत्र श्री हनुमान निवासी [illegible] तह0 मालपुरा जिला टोंक (राज0)
6	RJ26 20190008763	119/177 MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री लोकेश पुत्र श्री राधेश्याम निवासी खारोई तह0 देवली जिला टोंक (राज0)
7	RJ26/DLC/10/76458	119/177 MV ACT	पुलिस निरीक्षक यातायात (दक्षिण) जयपुर	श्री हेमराज पुत्र श्री जगदीश निवासी संडीयाबास तह0 देवली जिला टोंक (राज0)

जिला परिवहन अधिकारी
एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी
टोंक
दिनांक :– 29.07.2020

क्रमांक/परि./2020–21/10155–10163

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान निजी सचिव, माननीय परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर।
3. संबंधित वाहन स्वामी ....
4. उडनदस्ता संख्या 24/दस/DFS NEW
5. चालान शाखा।
6. लाईसेंस शाखा प्रभारी उक्त सभी लाईसेंस काप्युटर रिकॉर्ड में निलम्बन को दर्ज करे।
7. रक्षित पत्रावली।

टोंक जिला परिवहन अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण सम्बन्धी आदेश

जिला परिवहन अधि
[redacted]

क्या यातायात पुलिस कर रही है सभी पकडे गए उल्लंघनकर्ताओं के लाईसेंस निरस्त करने की अनुशंसा?

जानकारी में आया है कि यातायात पुलिस द्वारा हाईस्पीड,लाल बत्ती क्रॉस करने वाले,ओवरलोडेड ,मालवाहक वाहनों में सवारियों को भरने वाले,नशे में वाहन चलाने वाले,ड्राईविंग करने समय मोबाइल पर बात करने वाले सभी वाहन चालकों के लाईसेंस जब्त नहीं किये जाते है बल्कि अधिकतर को ले-देकर छोड़ दिया जाता है या फिर केवल चालान राशि लेकर छोड़ दिया जाता है|यदि यातायात पुलिस सभी के लाईसेंस जब्त कर निरस्त करने की कार्यवाही गंभीरता से शुरू कर दे तो निश्चित रूप से आम जन में नियमों की पालना करने की भावना जाग्रत होगी और सड़क हादसों में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी अन्यथा इस कमिटी के आदेश भी अन्य आदेशों की तरह ठन्डे बस्ते में चले जायेंगे|